"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 186] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 6 जुलाई 2006 — आषाढ़ 15, शक 1928

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-77/रानिआ/नपा/निर्रहता/05/617.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत अहिवारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. पूनम देवांगन को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-77/रानिआ/नपा/निर्रहता/05/617.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत अहिवारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. प्रेम साहू को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-77/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/617.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत अहिवारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. बलजीत सिंह को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-77/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/617.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत अहिवारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. डॉ. वेदप्रकाश बरहरे को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-77/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/617.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत अहिवारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. शिवकुमार सोनवानी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-77/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/617.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत अहिवारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. शिवप्रसाद को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-77/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/617.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत अहिवारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीराम चौहान को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-20/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/618.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री जानकी प्रसाद सोनी को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-20/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/618.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री बिहारी लाल सोनी को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-20/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/618.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री श्याम दास गुरुजी को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-73/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/619.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत थान खम्हरिया के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री सजीवन को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-57/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/626.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत लवन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती रंजना लार्बे को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन-व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-57/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/626.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत लवन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती भारती देवी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता हैं.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-57/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/626.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत लवन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती दुरपति पति शंकर को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-57/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/626.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत लवन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती पुष्पा सोनवानी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-78/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/627.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत देवकर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री प्रकाश अग्रवाल को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-78/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/627.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत देवकर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री विजय कुमार को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 21 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक एफ-78/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/627.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत देवकर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री चंदन सिंह को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-42/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/640.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत सारंगढ़ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. भरत थवाईत को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-67/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/670.— दिसम्बर 2005 में नगरपालिका परिषद् धमतरी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री हिमांशु चव्हाण को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-67/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/671.— दिसम्बर 2005 में नगरपालिका परिषद् धमतरी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्रीमती शोभा भालेकर को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-67/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/672.— दिसम्बर 2005 में नगरपालिका परिषद् धमतरी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री सत्यवान यादव को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 28 अप्रैल 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-67/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/673.— दिसम्बर 2005 में नगरपालिका परिषद् धमतरी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री संजय जैन को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-47/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/681.— दिसम्बर 2005 में नगरपालिका परिषद् बीरगांव के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री गिरधारी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-47/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/682.— दिसम्बर 2005 में नगरपालिका परिषद् बीरगांव के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री भीखम लाल देवांगन को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-47/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/683.— दिसम्बर 2005 में नगरपालिका परिषद् बीरगांव के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री योगेन्द्र सोलंकी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 2 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-47/रानिआ/नपा/व्यय लेखा/निरर्हता/05/684.— दिसम्बर 2005 में नगरपालिका परिषद् बीरगांव के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. डॉ. शकील को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अन्तर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2006

आदेश

क्रमांक/एफ-17/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/1076.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बलौदा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री बंसत कुमार मित्तल को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2006

आदेश

क्रमांक एफ-17/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/1077.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बलौदा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री भरत लाल देवांगन को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2006

आदेश

क्रमांक एफ-17/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/1078.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बलौदा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री हेमन्त कटकवार को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2006

आदेश

क्रमांक एफ-01/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/1115.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम बिलासपुर के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री मानिक लाल को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2006

आदेश

क्रमांक एफ-01 /रानिआ/नपा/निरर्हता/05/1117.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम बिलासपुर के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. इंजी. श्री मणीशंकर सोनी को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2006

आदेश

क्रमांक एफ-01 /रानिआ/नपा/निरर्हता/05/1119.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम बिलासपुर के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री कैलाश ग्वाला को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अन्तर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2006

आदेश

क्रमांक एफ-91/रानिआ/नपा/निरर्हता/05/1121.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत खैरागढ़ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री कन्हैया सिंह बैस को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006.